Received through Mail on 11.06.26

पत्रांक–21/रा0सू0आ0–06/2025, सा.प्र. 10339/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना–15, दिनांक 11.6.26

विषयः– **लोक सूचना पदाधिकारियों के सूचना प्रकोष्ठ में लंबित सूचनावेदनों का निष्पादन एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु।**

प्रसंग– बिहार सूचना आयोग के वाद संख्या–A7243/2020 में पारित आदेश ज्ञापांक–4079, दिनांक–24.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक बिहार सूचना आयोग के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त आदेश में विहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रकोष्ठ में लंबित सूचनावेदनों का निष्पादन कराने हेतु अपने अधीनस्थ लोक सूचना प्राधिकारों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

E-Mail कार्यालय 11 JUN 2026

453
12/06/26

सचिव
जल संसाधन विभाग
डायरी सं० 4800
दिनांक 11/06/26

विशेष सचिव, कोषांग
डायरी सं० 1372 (अनु०)
दिनांक 12/06/26
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक -31(सू.अ.को.)-67/2026- / पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अपने अधीनस्थ लोक सूचना प्राधिकारों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह0/-
(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक -31(सू.अ.को.)-67/2026- 779 (अ०) / पटना, दिनांक - 22-06-2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई.टी., WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/26
(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष– 2215713, 2235059, 2200426 फैक्स–2235466, वेब–साईट– www.sic.bihar.gov.in

वाद संख्या–ए–7243 / 20

श्री त्रिपुरारी पाण्डेय, औरंगाबाद।

बनाम्

प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद–824101 / लोक सूचना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का कार्यालय, औरंगाबाद–824101।

10.04.2026 अपीलार्थी श्री त्रिपुरारी पांडे अनुपस्थित हैं। श्री रितेश कुमार यादव, प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, औरंगाबाद जिन्हें प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अपर समाहर्त्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा प्राधिकृत किया गया है उपस्थित हैं।

पिछली तिथि को दिए गए आदेश के आलोक में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अपर समाहर्त्ता का अपीलार्थी को संबोधित पत्रांक 2041 (ए) दिनांक 08.04.26 आज प्रस्तुत किया गया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपीलार्थी को सूचित किया है कि–

"उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर के पत्रांक–2032 / रा०, दिनांक–03.09.2024 से प्रेषित किया जा चुका है। सुलभ प्रसंग हेतु उसकी प्रति इस आग्रसारण पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:– जांच प्रतिवेदन पत्रांक–2032 / रा०, दिनांक–30.09.2024 की प्रति ।"

पत्र के साथ लोक सूचना पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर का अपीलार्थी को संबोधित ज्ञापांक 2032 दिनांक 03.09.24 संलग्न है। इस पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी है जिसके साथ संदर्भित जांच प्रतिवेदन पत्रांक 1999 दिनांक 31.08.24 की प्रति संलग्न की गयी है। इस प्रकार अपीलार्थी को याचित सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। परंतु सूचना विलंब से उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद दोषी प्रतीत होते हैं। उन्हें आयोग की कड़ी चेतावनी निर्गत की जाती है।

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निदेशित किया जाता है कि आयोग की कड़ी चेतावनी तत्कालीन (प्रपत्र–क दिनांक 30.09.19) लोक सूचना पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद को लिखित रूप से संसूचित करें। साथ ही वे अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को सख्त निर्देश लिखित रूप से निर्गत करें कि उनके सूचना प्रकोष्ठ में जितने भी सूचना के मांग के आवेदन लंबित है उनका निष्पादन वे अगले एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायें अन्यथा भविष्य में जो वर्तमान लोक सूचना पदाधिकारी हैं उनपर भी कार्रवाई की जा सकती है। उपर्युक्त निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह0 / –

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्य सूचना आयुक्त

इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार / मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई–मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार किये जायेगें।

ज्ञापांक–प्री–3 / 4079 रा0सू0आ0 पटना, दिनांक 24/04/2026

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।/ प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद–824101/ प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद।/ लोक सूचना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का कार्यालय, औरंगाबाद–824101/ लोक सूचना पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद।/ श्री त्रिपुरारी पाण्डेय, पिता–विष्णुदत्त पाण्डेय, ग्राम+पो0+थाना–गोह, औरंगाबाद–824203 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(करन गुप्ता)
प्रशाखा पदाधिकारी

इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई–मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार किये जायेंगे।